न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आइ0ए0एस0)

वाद सं0 : 394 सन 2024

अनवान :–

1. गुडी पुत्री भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना
2. गणेश कुमार पुत्र श्योपतराम जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना जिला अनुपगढ
3. गीता पुत्री भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना
4. चुसी पुत्री भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना
5. पारसी पुत्री भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना
6. बिमला देवी पत्नी श्योपतराम जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना जिला अनुपगढ
7. विमला पुत्री भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना
8. शान्ती पुत्री भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना जरिये समस्त मुख्त्यारआम पवन कुमार स्वामी पुत्र हनुमान प्रसाद जाति स्वामी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. चन्द्रकान्ता पुत्री श्योपतराम जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना जिला अनुपगढ
3. निमादेवी पत्नी भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना
4. राकेश कुमार पुत्र श्योपतराम जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना
5. रोशनलाल पुत्र भागीरथ जाति भाट निवासी चक 6 एसकेएम तहसील घडसाना

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/04/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा ब्राहम्णवासी नोहर के खसरा न0 101 की 1.08 बीधा भूमि भागीरथ पुत्र हुकमा उर्फ हुक्माराम जाति जाट निवासी ब्राहम्णवासी को उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा सन 11.11.1975 में आवंटन की गई थी जो जरिये नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 31.07.1977 के जरिये राजस्व रिकार्ड में बतौर गेरखातेदार दर्ज है।

रोही मौज ब्राहम्णवासी के खसरा न0 101 की 1.08 बीधा भूमि भागीरथ पत्रु हुकमा उर्फ हुकमााम जाति भाट साकिन ब्राहम्णवासी के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा आवंटन के समय से कब्जा काश्त में होने के कारण आवंटी खातेदार काश्तकार हो गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:27 IST
Reason: SelfAttested

आवंटी भागीरथ पुत्र [illegible] हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान जरिये विरासतन नामान्तकरण [illegible] व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम वाद भूमि दर्ज हो चुकी है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वज भागीरथ पुत्र हुक्मा को दिनांक 11.11.1975 को आवंटन की गई थी जिसके दस वर्षो के बाद भागीरथ पुत्र हुक्ताराम खातेदार काश्तकार हो गया

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul.

था मगर भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम को व भागीरथ के बाद उसके वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जबकि खातेदार काश्तकार हो गये थे गैरखातेदार दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतोर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि आवटन होने के बाद पहले वादीगण के पूर्वज भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम के कब्जा काश्त में रही थी तभा आवंटी भागीरथ के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 खातेदार काश्तकार हो गये है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ब्राहम्णवासी के खाता संख्या 130/130 के खसरा न0 101 की 0.3540हैक भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 तरतीबी प्रतिवादी है जिनका अनतोष वादीगण में निहित है प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ब्राहम्णवासी नोहर के खसरा न0 101 की 1.08 बीधा भूमि भागीरथ पुत्र हुकमा उर्फ हुक्माराम जाति जाट निवासी ब्राहम्णवासी को उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा सन 11.11.1975 में आवंटन की गई थी जो जरिये नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 31.07.1977 के जरिये राजस्व रिकार्ड में बतौर गेरखातेदार दर्ज है।

रोही मौज ब्राहम्णवासी के खसरा न0 101 की 1.08 बीधा भूमि भागीरथ पत्रु हुकमा उर्फ हुकमाम जाति भाट साकिन ब्राहम्णवासी के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा आवंटन के समय से कब्जा काश्त में होने के कारण आवंटी खातेदार काश्तकार हो गया था।

आवंटी भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान जरिये विरास्तन नामान्तकरण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम वाद भूमि दर्ज हो चुकी है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वज भागीरथ पुत्र हुक्मा को दिनांक 11.11.1975 को आवंटन की गई थी जिसके दस वर्षो के बाद भागीरथ पुत्र हुक्ताराम खातेदार काश्तकार हो गया था मगर भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम को व भागीरथ के बाद उसके वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जबकि खातेदार काश्तकार हो गये थे गैरखातेदार दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतोर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि आवटन होने के बाद पहले वादीगण के पूर्वज भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम के कब्जा काश्त में रही थी तभा आवंटी भागीरथ के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 खातेदार काश्तकार हो गये है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ब्राहम्णवासी के खसरा न0 101 की कुल 1.08 बीधा अर्थात 0.3540हैक्‍ भूमि भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम जाति भाट को दिनांक 11.11.1975 को आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 31.07.1977 से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम जाति भाट का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागीरथ के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है व वर्तमान राजस्व रिकार्ड से साबित है

अर्थात वाद भूमि भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम को दिनांक 11.11.1975 को भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 18 से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता भागीरथ पुत्र हुक्माराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी भागीरथ के देहान्त होने पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा मौका रिपोर्ट से भी पूर्णत्या साबित है कि वाद भूमि भागीरथ के वारिसान के कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है

मौका रिपोर्ट अनुसार वाद भूमि वादीगण के पूर्वज भागीरथ को आवंटन की गई थी जो पहले भागीरथ पुत्र हुक्माराम के कब्जा काश्त में थी वर्तमान में उसके वारीसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद एवं स्थगन आदेश ही है ना ही अन्य कोई विवाद है

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज भागीरथ पुत्र हुक्माराम को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन के 10 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये गैर खातेदार विधि विरूद्व है वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता भागीरथ को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये अहेयता भी है

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन में आयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul.

आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के पिता को भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवटन की गई थी जिसके खातेदारी अधिकारी 10 वर्षो के बाद दे दिये जाने चाहिये थे किन्तु सहवन से खातेदारी अधिकार नही दिये जाने से वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि वाद भूमि पेराफेरी में आती है वाद भूमि पेराफेरी में वर्ष 2010 में आई है वादी उससे पूर्व ही खातेदार काश्तकार हो गया था तथा राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र जारी किया जाकर निर्देशित भी किया गया है कि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन की गई भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है को एक मुश्त राशि जमा करवाने पर सीधे ही बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा ऐसे आवटियो को राज्य [illegible] के द्वारा परिपत्र जारी किया जाकर राशि जमा करवाने मे छुट भी प्र[illegible] राशि जमा करवाने पर सीधे ही बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा सक[illegible] उक्त परिपत्रों के अधिन वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर [illegible]र खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:27 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
[illegible] अधिकारी
मोहर

वादी के पिता भागीरथ पुत्र हुक्मा उर्फ हुक्माराम जाति भाट साकिन (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा ब्राहम्णवासी के साबिका खसरा न0 101 की कुल 1.08हैक भूमि दिनांक 11.11.1975 को आवंटन की गई थी जो आवंटि भगीरथ पुत्र हुक्माराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता भागीरथ पुत्र हुक्माराम को आवंटन नियम 1957/1970 के नियमों के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में रोही मौजा ब्राहम्णवासी के खाता संख्या 130/130 के खसरा नम्बर 101 की कुल 0.3540हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण संख्या 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ,5 प्रत्येक 1/9 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 ,6 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,4 सयुक्त तौर से 1/9 हिस्सा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रकरण में वर्णित भूमि रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 130/30 के खसरा न0 101 की 0.3540हैक वर्तमान में नगर पालिका पेराफरी में आती है जिसके खातेदारी अधिकार उपनिवेशन विभाग के परिपत्र क्रमांक 4(11) कोलो/1996 दिनांक 19.06.2015 व प.3(17)राज–6/2021पार्ट/18 दिनांक 12.09.2024 के अनुसार नगर पालिका पैराफरी क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ/माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के द्वारा ही प्रदत किये जा सकते है। मुल पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:27 IST
Reason: SelfAttested